संख्या–भा0स0–247 / 14–2–2016–800 (145) / 2016

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह
अनुसचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक /
नोडल अधिकारी
उ0प्र0, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक** 02 दिसम्बर ~~नवम्बर~~ **2016**

विषयः– आगरा–बाह–कचौरा घाट मार्ग के किमी0 चैनेज 17.100 की बांयी पटरी पर ग्राम कुण्डोल के खसरा संख्या–1612 पर एस्सार ऑयल लि0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के संपर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.750028 हे0 संरक्षित वन भूमि पर बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासन को सम्बोधित एवं आपको पृष्ठांकित भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र संख्या–8बी / 06 / 95 / 2016 / एफसी / 409, दिनांक 21–11–2016 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में कुल 07 बिन्दुओं पर की गयी आपत्तियों का निराकरण का संशोधित प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2– विषयगत प्रस्ताव की 02 प्रतियों को प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 21–11–2016 में उल्लिखित 07 बिन्दुओं पर बिन्दुवार कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचना यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

B Singh

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव।